HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 5992/2021

Ashok Kumar Meena S/o Dhansiram, R/o Sikrai, Tehsil Sikrai, District Dausa, At Present R/o Khan Bhankri Road, Dausa, Dausa, District Dausa.

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Ritesh Jain, through VC
For Respondent(s) : Mr. Atul Sharma, PP

HON'BLE MR. JUSTICE SATISH KUMAR SHARMA (V.J.)

Order

31/05/2021

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना, कोतवाली जिला दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–511/2013 अपराध अंतर्गत धारा 147,436,452,427,379 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की दलीलें हैं कि प्रार्थी–अभियुक्त के खिलाफ एक ही दिन की कथित घटना के संबंध में 9 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गईं, जिनमें से इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनुसंधान के पश्चात उसके विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अनुसंधान लंबित रखा गया

है, जबकि वह अन्य सभी प्रकरणों में विचारण के दौरान उपस्थित हुआ है। एक प्रकरण को छोड़कर अन्य सभी में बरी भी हो चुका है। अनुसंधान के 8 साल बाद उसे बिना किसी आधार के गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

विद्वान लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत का विरोध किया है।

इस स्टेज पर मामले के गुणावगुण पर कोई निश्चित मत व्यक्त किये बिना, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिहाज से इतना ही उल्लेख किया जाना पर्याप्त है कि प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 2013 में पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उसके विरूद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान लंबित रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वह 8 साल की अवधि में फरार रहा हो, बल्कि उसने उसी दिन दर्ज हुए अन्य मुकदमों के विचारण में भाग लिया है और बरी भी हुआ है। इस तरह 8 साल की असाधारण लम्बी अवधि तक अनुसंधान लंबित रखने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथमदृष्टया सामने नहीं आया है। लिहाजा प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त अशोक कुमार मीना की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहॉ पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–511/2013 में प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी–अभियुक्त उनके संतोषप्रद एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियॉ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।

2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये

मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।

3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(SATISH KUMAR SHARMA (V.J.)),J

Pradeep Thawani /70

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते